राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2016-17

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0

1. निगम की स्थापना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 की दिनांक 08.12.2010 को स्थापना की गई थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार, कम्पनी मामले, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूंजी

निगम की अधिकृत अंश पूंजी 100 करोड रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूंजी 50 करोड रूपये है। 50 करोड रूपये के अंशों में से 49.93 करोड रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात निदेशकों के नाम है।

3. निगम का संचालक मण्डल

क्र.सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1.	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
3.	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	निदेशक
4.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5.	उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग	निदेशक
6.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ	निदेशक
7.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	निदेशक

4. निगम के विगत चार वर्षो के वित्तीय परिणाम

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16 (अनुमानित)
1.	Profit before interest & Depreciation	1369.96	944.25	1396.62	1600.16
2.	Less: interest	Nil	Nil	688.15	634.00
3.	Operational Profit/Loss	1369.96	944.25	708.47	966.16
4.	Less: Depreciation	49.41	40.71	60.87	17.50
5.	Profit/Loss after interest & Depreciation	1320.55	903.54	647.60	948.66
6.	Profit/Loss for appropriation	861.29	504.63	515.02	572.95

5. निगम के कार्य एवं उददेश्य

5.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

5.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बडे निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

5.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहॉ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नही है वहॉ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहॉ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहॉ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

5.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

5.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य–तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

5.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.डी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वाशिंग सोप, पिसे हुए मसाले आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

5.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 28.06.2011, 27.12.2012 एवं 04.06.2013 के द्वारा निगम हेतु स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तयों के कारण अस्थाई व्यवस्था के रूप में कार्यरत कार्मिक
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	59	16	43	46
2.	जिला कार्यालय	272	225	47	–
3	तहसील स्तर	488	123	365	–

7. निगम का थोक व्यापार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा थोक विक्रेता घोषित किया गया है। निगम का तहसील स्तर पर कोई कार्यालय नही होने के कारण जिलों में तहसील स्तर पर पूर्व से ही कार्यरत थोक विक्रेता अर्थात् क्रय–विक्रय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रिय सहकारी विकास संघ लि0 के द्वारा निगम के प्रतिनिधि के रूप में खाद्यान्न उठाव एवं आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है परन्तु कोटा, बांरा एवं बून्दी (सम्पूर्ण जिला) व धौलपुर जिलें की पांच, चूरू जिले की दो, दौसा जिले की एक एवं बांसवाडा जिले की एक तहसील में पूर्व से कार्यरत थोक विक्रेता (सहकारी संस्थाओं) द्वारा कार्य नही करने के कारण निगम के प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति के माध्यम से पीडीएस खाद्यान्न की एफपीएस पर आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा निगम को राज्य स्तरीय थोक विक्रेता नियुक्त कर नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

8.1 गेहूं की आपूर्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा आवंटित खाद्यान्न/चीनी का उठाव कर उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति किये जाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 को सम्पूर्ण राज्य के लिए नोडल ऐजेन्सी नियुक्त किया हुआ है। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न उठाव का कार्य माह अक्टूबर 2013 से प्रारम्भ हुआ है।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का सम्पूर्ण राज्य में आपूर्ति व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से बनाये रखने के दृष्टिकोण से खाद्य विभाग की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त प्रदेश के सभी जिलों में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम,2012 एवं नियम,2013 के तहत परिवहनकर्ता नियुक्ति की कार्यवाही ई–निविदा के द्वारा की जा रही है।

8.2 चीनी आपूर्ति

1. पीडीएस के तहत 1 अप्रैल, 2012 से पूर्व चीनी की आपूर्ति राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर के माध्यम से लेवी चीनी के रूप में की जाती थी। इसके अन्तर्गत चीनी का आवंटन सीधे भारत सरकार द्वारा खाद्य विभाग, राज्य सरकार को किया जाता था तथा खाद्य विभाग द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर को किया जाता था। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर भारत सरकार द्वारा आवंटित चीनी मिलो को डी.आई. जारी कर समिति/भण्डार को चीनी उपलब्ध करवाता था। समिति/भण्डार द्वारा आवंटित चीनी मिलों को राशि जमा करवाकर उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने हेतु चीनी आपूर्ति की जाती थी।

2. 01 अप्रैल, 2012 से राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर द्वारा की जा रही लेवी चीनी आपूर्ति की व्यवस्था राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर को हस्तान्तरित कर दी गई जो 31.05.2013 तक जारी रही।

3. केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2013 से चीनी को लेवी से नियंत्रण मुक्त किया गया है। राज्यों को पारदर्शिता के साथ खुले बाजार से चीनी क्रय कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लक्षित वर्ग को उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य को प्रतिमाह 7342.00 मै. टन एवं वर्ष में एक बार त्यौहारी कोटा का 5092 मै. टन अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होता है। इस प्रकार कुल वार्षिक आवंटन 93196 मै. टन प्राप्त होता है।

4. नई व्यवस्था के तहत चीनी के आवंटन एवं उठाव का विवरणः– अप्रेल,2016 से दिसम्बर,2016 तक कुल 71170.0 मै. टन चीनी के आवंटन के विरूद्ध दिसम्बर,,2016 तक की 71170.0 मै. टन चीनी की आपूर्ति हो चुकी है। अक्टूबर से दिसम्बर,2016 तक की चीनी का वितरण जारी है।

5. हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिले के लिए माह अक्टुबर, 2014 से चीनी की आपूर्ति राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लि., श्रीगंगानगर से अनुमोदित न्यूनतम निविदादाता की दरों पर ही की जाती है।

6. चीनी का वितरण जून, 2016 तक 13.50 रूपये प्रति किलो की दर से किया गया जुलाई, 2016 से अक्टूबर, 2016 तक 20 रूपये प्रतिकिलो एवं नवम्बर,2016 तथा दिसम्बर, 2016 में उपभोक्ताओं को 25 रूपये प्रतिकिलों की दर से वितरण किया जा रहा है। इसकी आपूर्ति पर निम्नानुसार मार्जिन राशि देय है :–

क्र.सं.	संस्था	विवरण	राशि (प्रति क्विं.) रू.
1	राज्य प्रतिनिधि (आपूर्ति निगम)	कमीशन	40.27
2	थोक विक्रेता (क्रय विक्रय सहकारी समिति)	कमीशन	23.00
3	खुदरा विक्रेता (उचित मूल्य दुकानदार)	कमीशन	23.87
4	डोर स्टेप डिलेवरी	परिवहन	40.00 (औसतन)

खुदरा परिवहन 40.00 रू. प्रति क्विं. (अधिकतम) देय होगा जो प्रति किमी की दर से निम्नानुसार आंकलित रहेगा :–

क्र.सं.	प्रस्तावित दूरी	प्रस्तावित दर प्रति क्विं
1	0 से 5 किमी तक	14.30 रू.
2	5 से 15 किमी तक	8.75 रू.
3	15 से 100 किमी तक	0.28 रू. (प्रति क्विं प्रति किमी)
4	100 किमी से अधिक	0.21 रू. (प्रति क्विं प्रति किमी)

7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी कय पर 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से भारत सरकर द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। शेष राशि उपभोक्ता से वसूल की जाएगी।

9. गैर पी.डी.एस. वस्तुओं का विपणन कार्य

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं के कियान्वयन हेतु नॉन पीडीएस सामग्री के अन्तर्गत विभिन्न सामग्री उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। योजना के प्रथम चरण में गैर पीडीएस वस्तुओं – चाय, नमक तथा मसालों की आपूर्ति प्रारम्भ की गई तथा कालान्तर में इनमें अगरबत्ती, बिस्किट वाशिंग/ टॉयलेट साबुन, डिटरजेन्ट पाउडर का भी समावेश किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम द्वारा उपभोक्ताओं को उचित दरों तथा उच्च गुणवत्ता में निर्बाध आपूर्ति हेतु गैर पीडीएस वस्तुओं–चाय, नमक, मसाले (लाल मिर्च, हल्दी तथा धनिया पाउडर), अगरबत्ती,

बिस्किट (बटर), वाशिंग/टॉयलेट साबुन तथा डिटरजेन्ट पाउडर के उत्पादनकर्ता/निर्माताओं एवं थोक विक्रेताओं से ई–निविदाऐं प्राप्त की गई। उपरोक्त नॉन पीडीएस सामग्री की निविदाओं हेतु निर्धारित आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करने के पश्चात् सम्बन्धित निविदादाताओ/फर्मों को कार्यादेश जारी किये गये।

निगम द्वारा अनुमोदित दरों में निगम के प्रशासनिक व्यय, उचित मूल्य के दुकानदारों के कमीशन आदि का समावेश करने के पश्चात् गैर–पीडीएस सामग्री की निम्नानुसार कीमते (MRP) निर्धारित की गई है :–

क.सं	नॉन पीडीएस सामग्री का नाम	कीमत(MRP) रू. प्रति किलो	उपभोक्ता पैक कीमत
1	चाय	168/–	42/– प्रति 250 ग्राम
2	रिफाइन्ड आयोडाइज्ड नमक	6/–	6/– प्रति 1000 ग्राम
3	मसालें		
	– लाल मिर्च पाउडर	165/–	33/– प्रति 200 ग्राम
	– हल्दी पाउडर	145/–	29/– प्रति 200 ग्राम
	– धनिया पाउडर	130/–	26/– प्रति 200 ग्राम
4	अगरबत्ती	200/–	10/– प्रति 50 ग्राम
5	बिस्किट (बटर)	100/–	5/– प्रति 50 ग्राम
6	वाशिंग साबुन	50/–	10/– प्रति 200 ग्राम
7	टॉयलेट साबुन	100/–	10/– प्रति 200 ग्राम
8	डिटरजेन्ट पाउडर	42/–	21/– प्रति 500 ग्राम

नॉन पीडीएस सामग्री आपूर्ति – अप्रेल, 2016 से दिसम्बर, 2016

(मात्रा किलो में)

क्र. सं.	सामग्री	अप्रेल, 2016	मई, 2016	जून, 2016	जुलाई, 2016	अगस्त, 2016	सितम्बर, 2016	अक्तूबर, 2016	नवम्बर, 2016	दिसम्बर, 2016
1	चाय	–	–	70944	42897	58664	45888	37399	59000	43440
2	नमक	–	22000	477500	169000	227450	74500	163500	1041250	278000
3	मसालें	–	–	–	–	–	–	–	54700	79400
4	अगरबत्ती	20140	20000	11340	1520	8140	0			
5	बिस्किट (बटर)	3030	4630	2500	950	600	0			
6	वाशिंग साबुन	17250	36240	19900	16300	6700	0			
7	टॉयलेट साबुन	25000	13810	7770	7050	3554	0			

10. अन्नपूर्णा भण्डार योजना

जनसाधारण को उच्च गुणवत्ता की मल्टी ब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुऐं प्रतिस्पर्धी दरों पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अन्नपूर्णा भण्डार योजना लागू की गई है।

योजना क्या है:–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रॉण्ड उपभोक्ता वस्तुएं उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने की एक योजना अवधारित की गई है। इस योजना को अन्नपूर्णा भण्डार योजना का नाम दिया गया है।

- अन्नपूर्णा भण्डार हेतु दुकान डीलर की स्वयं की हो, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10'X20' (200 वर्ग फीट) हो एवं दुकान कम से कम 30 फीट रोड़ पर खुलती हो।
- अन्नपूर्णा भण्डार योजना देश में सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की एक अनूठी योजना है।
- इसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त मल्टी ब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुएं उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्राप्त हो रही है।
- आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने स्तर से मोबाईल एप्प तैयार किया गया है जिसके द्वारा भण्डार संचालक अपने मोबाईल पर ऑर्डर, रि–ऑर्डर का सामान मंगवा सकते है।

योजना के लाभ एवं उपलब्धियां :–

- योजनान्तर्गत भण्डार संचालकों को उद्यमी के रूप में कार्य करने के फलस्वरूप आशातीत आय प्राप्त होने के साथ–साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर अर्जित हुए है।
- योजनान्तर्गत कुल 5008 अन्नपूर्णा भण्डार संचालित किये जा रहे है जिसके अन्तर्गत लगभग 6000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।
- उत्पादों की एम.आर.पी. पर उचित मूल्य दुकानदारों को न्यूनतम 2 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की अधिकतम छूट प्राप्त हो रही है तथा भण्डार संचालक को 40 प्रतिशत एवं उपभोक्ता को 60 प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो रहा है।
- अन्नपूर्णा भण्डार संचालकों द्वारा आपूर्तिकर्ता को नगद भुगतान पर एक प्रतिशत कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है।
- अन्नपूर्णा भण्डार संचालकों को कारोबार हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से मुद्रा लोन के रूप में 36 भण्डार धारकों को राशि 130.13 लाख राशि का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है तथा 130 ऋण प्रार्थना पत्र प्रकियाधीन है।

- इस योजना के तहत आधुनिक व्यापार पद्धतियों द्वारा उचित मूल्य के दुकानदारों की क्षमता एवं संभावनाओं का विकास किया गया हैं।
- योजना के अन्तर्गत जनसाधारण को उच्च गुणवत्तायुक्त मल्टी ब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुएं उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध हो रही है।
- अन्नपूर्णा भण्डार संचालकों को भण्डार उद्घाटन पर व्यय होने वाली राशि 5000/– रूपये का आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है।
- इसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को 45 तरह के लगभग 150 से अधिक प्रकार के उत्पाद जिनमें मुख्य रूप से खाद्य तेल, घी, दाले, अचार, गुड, बिस्किट, मसाले, सौन्दर्य, प्रसाधन, साबुन, डिटर्जेन्ट्स, शैम्पू, टूथपेस्ट, पेन, नोट बुक, बल्ब, माचिस, चप्पल, फिनायल, टॉयलेट क्लीनर्स इत्यादि की आपूर्ति की जा रही हैं।
- अन्नपूर्णा भण्डार योजना के प्रथम चरण में दिनांक 31.12.2016 तक 5008 उचित मूल्य दुकानदारों को अन्नपूर्णा भण्डार के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है।
- आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा प्रत्येक अन्नपूर्णा भण्डार संचालक को चांदी के सिक्के का समारोह पूर्वक वितरण कराया जा रहा है। दिनांक 31.12.2016 तक 4012 सिक्कों का वितरण किया जा चुका है।
- भण्डार संचालकों द्वारा एक माह में एक लाख से अधिक खरीद पर 2000/– रूपये की अतिरिक्त छूट दी जा रही है।
- जिलों में डीलर्स का वाट्स एप्प ग्रुप बनाया जा रहा है।

कार्य–योजनाः–

- मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के द्वारा योजना के द्वितीय चरण हेतु प्रदत्त सुझावों की कियान्विति हेतु राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अन्नपूर्णा भण्डार स्थापना की जानी है। राज्य में लगभग 10,000 ग्राम पंचायतें है जिनमें अन्नपूर्णा भण्डार और खोले जाने है ताकि समस्त पंचायतें इस योजना से लाभान्वित हो सके।
- योजना में निरन्तरता, व्यवहार्यता तथा ग्रामीण युवाओं के लिये रोजगार के अवसर तैयार करने के लिये एक ही छत के नीचे अन्नपूर्णा भण्डार, उचित मूल्य दुकान, ई–मित्र, बिजनेस कोर्सपोण्डेंस को भी समाहित किया गया है और भण्डार संचालकों को मुद्रा लोन उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।
- योजना के उचित कियान्वयन हेतु चयनित उचित मूल्य के दुकानदारों को मै. फ्यूचर कन्ज्यूमर एन्टरप्राइज लि. द्वारा आधुनिक खुदरा व्यापार प्रबन्धन में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
- योजना के सम्बन्ध में जनसाधारण पर पड़ने वाले प्रभाव हेतु Social Audit करवाई जा रही है।

11. बजट घोषणा – वर्ष 2015–16

कुपोषण की प्रभावी रोकथाम के लिए **micro nutrient** यथा **Na(Sodium) Fe (Iron) EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetate Trihydrate), Folic Acid** व विटामिन बी 12 से **fortified** आटा, विटामिन ए व डी से **fortified** खाद्य तेल एवं आईरन तथा आयोडिन युक्त **double fortified** नमक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जायेगा

1. आयोडीन एवं आयरन युक्त डबल फोर्टीफाइड नमक **(DFS) :–**

राज्य में वर्तमान में Double Fortified Salt (DFS) का चुनिन्दा उत्पादकों द्वारा ही उत्पादन किया जा रहा है। निगम द्वारा सभी सम्बन्धित संगठनों, नमक उत्पादकों, एन.जी.ओ आदि के साथ मीटिंग आयोजित कर निविदा सूचना जारी की गई। राजस्थान के नमक उत्पादकों को डबल फोर्टिफाइड नमक निर्माण की प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु GAIN/IIHMR की सहभागिता से दिनांक 18.06.2015 को कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विशेषज्ञों द्वारा राजस्थान के रिफाइन्ड नमक उत्पादकों को DFS की उत्पादन प्रकिया, तकनीकियों आदि के बारे में आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई। डबल फोर्टिफाइड नमक की प्रोसेसिंग में रू. 5–6 प्रति किलों का अतिरिक्त व्यय होता है जिससे सामान्य आयोडाइज्ड की तुलना में इसकी कीमत रू. 5–6 प्रति किलो अधिक है।

निगम द्वारा DFS उत्पादकों के साथ चर्चा कर दिनांक 16.09.2015 को ई–निविदा सूचना जारी की गई निविदा के क्रम में 3 निविदाऐं प्राप्त हुई। मैं. श्री कैमफुड प्रा. लि, गांधीधाम (गुजरात) की दर रू. 12.87 प्रति किलो न्यूनतम (L1) पाई गई। विचार –विमर्श के दौरान निविदादाता द्वारा दर में 3 पैसे की कमी कर दी गई तथा इस प्रकार न्यूनतम दर रू. 12.84 प्रति किलो हो गई। इस दर में निगम के प्रशासनिक व्यय, उचित मूल्य दुकानदार का कमीशन आदि का समावेश करने पर आम जनता को रू. 15/– प्रति किलो की कीमत (MRP) निर्धारित की गई। L-2 मैं टाटा कैमिक्लस लि. मुम्बई द्वारा भी उक्त दर पर डबल फोर्टिफाइड नमक आपूर्तिकरने हेतु सहमति व्यक्त किये जाने पर दिनांक 21.01.2016 को कार्यादेश जारी किये गये।

DFS की माह मई, 2016 से आपूर्ति प्रारम्भ हो गई। माह दिसम्बर, 2016 तक मात्र कुल 57.0 टन की आपूर्ति हो चुकी है। डबल फोर्टिफाइड नमक अपेक्षाकृत महंगा होने के कारण तथा इसके उपयोग से होने वाले फायदों से अनभिज्ञता एवं प्रचार–प्रसार के अभाव में उपभोक्ताओं द्वारा इसे क्रय करने में रुचि नहीं ली जा रही है। निगम द्वारा DFS के प्रचार–प्रसार हेतु सभी प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति (MCS) को GAIN से प्राप्त राशि में से अनुमोदित डिजाइन के अनुसार पोस्टर/पैम्पलेटस का मुद्रण/वितरण करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. फोर्टिफाइड खाद्य तेलों **(Vitamin A & Vitamin D** युक्त) की आपूर्ति:

विटामिन 'ए' तथा 'डी' युक्त फोर्टीफाइड खाद्य तेलों की आपूर्ति हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 2 बार निविदाऐं आमंत्रित की गई परन्तु कोई भी

फर्म उपस्थित नहीं हुई। निगम द्वारा पुनः दिनांक 27.01.2016 को जारी निविदा सूचना के क्रम में दिनांक 01.03.2016 को रिफाइन्ड सोयाबीन तेल हेतु एक मात्र बिड प्राप्त हुई थी जो कि तकनीकि मूल्यांकन में वैद्य नहीं पाई गई।

'गुजरात राज्य' की तर्ज पर वैकल्पिक कार्यवाही के क्रम में दिनांक 08.12.2015 तथा 28.01.2016 को खाद्य तेल मिलों तथा रिपैकर्स (Repackers) के साथ बैठक आयोजित की गई तथा एक अध्ययन दल द्वारा गुजरात राज्य के स्वैच्छिक फोर्टिफिकेशन के बारे में 03– 06 फरवरी, 2016 तक गुजरात सरकार के खाद्य निगम/खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ परिचर्चा कर फोर्टिफिकेशन की प्रकिया आदि की जानकारी प्राप्त की गई।

राज्य के खाद्य तेल मिलों/रिपैकर्स की दिनांक 24.02.2016 को कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विषय–विशेषज्ञों द्वारा खाद्य तेलों को विटामिन 'ए' तथा 'डी' से फोर्टिफाइड करने की सम्पूर्ण प्रकिया तथा तकनीकि पहलूओं आदि की जानकारी प्रदान की गई। राज्य में स्वैच्छिक फोर्टिफिकेशन हेतु एक अप्रेल 2016 की समय–सीमा निर्धारित की गई तथा 30 जून 2016 तक के Transition समय में पुराने पैकिंग सामग्री आदि के उपयोग हेतु निर्धारित किया गया।

स्वैच्छिक फोर्टिफिकेसन की समीक्षा हेतु दिनांक 12.05.2016 को तत्कालीन माननीय मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलें विभाग, श्री हेम सिंह भडाना जी की अध्यक्षता में पुनः कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में फुड फोर्टिफिकेशन की पृथक वेबसाइट लॉंच की गई। तेल मिलों के प्रतिनिधियों को निर्धारित समय–सीमा में राज्य में फोर्टिफाइड खाद्य तेलों की आपूर्ति प्रारम्भ कर बजट घोषणा को पूरा करने में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

राज्य में माह दिसम्बर, 2016 तक तक 191 मिलों द्वारा खाद्य तेलों का स्वैच्छिक फोर्टिफिकेशन प्रारम्भ किया जा चुका है तथा 131 मिलों द्वारा राज्य से बाहर तेल भेजा जा रहा है। इस आशय के उन्होंने शपथ–पत्र दिये है।

अन्नपूर्णा भण्डार योजना के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य की दुकानों पर फोर्टीफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति की जा रही है।